निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1942 (श0)

(सं0 पटना 445) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2020

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

3 अगस्त 2020

सं० वि०स०वि०–28 / 2020–1033 / वि०स०।—''औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 03 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०–14 / 2020]

औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को संशोधित करने हेतु विधेयक।

प्रस्तावना :– चूँकि वर्तमान में कोविड–19 वायरस महामारी के प्रकोप ने बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों एवं आर्थिक गतिविधियों की गति को कम किया है एवं औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है;

और, चूँकि बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण श्रम अधिनियमों में संशोधन करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

और, चूँकि राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश के आलोक में इसे अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किया जा चुका है :

इसलिए, भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–

(1) इस अधिनियम को औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन।–

(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–25ट में शब्द ''एक सौ'' को शब्द ''तीन सौ'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में धारा– 36 (ख) के पश्चात निम्नलिखित धारा जोडी जायेगी। अर्थात् धारा–

''36(ग) (लोकहित में नये उद्योगों को छूट देने की शक्ति) जहॉ, राज्य सरकार का किसी नये औद्योगिक स्थापना या उपक्रम या नये औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग के बारे में यह समाधान हो जाता है कि ऐसा किया जाना लोकहित में आवश्यक है, वहॉ वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से ऐसे नये स्थापना या उपक्रम या स्थापनाओं या उपक्रमों के वर्ग को शर्त्त सहित या शर्त्त के बिना ऐसे नये स्थापना या उपक्रम या स्थापनाओं या उपक्रमों के वर्ग को, जैसी भी स्थिति हो उनकी स्थापना के दिनांक से एक हजार दिवस के लिए छूट दी जा सकेगी''।

स्पष्टीकरण:– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, नये औद्योगिक स्थापना या नया उपक्रम या नये औद्योगिक स्थापनाओं या उपक्रमों के वर्ग से अभिप्रेत है कि ऐसा औद्योगिक स्थापना या नया उपक्रम या नये औद्योगिक स्थापनाओं या नये उपक्रमों के वर्ग जो औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2020 के लागू होने से एक हजार दिवस की अवधि में स्थापित हुए हों।

3. विधिमान्यकरण ।–अधिनियम की इस धारा 25 ट एवं धारा 36 में संशोधन होते हुए भी, इसके पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधिमान्य रूप से किया गया या की गई समझी जाएगी और अधिनियम की धारा 25 ट एवं धारा 36 के संशोधन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या की जाएगी।

4. **निरसन एवं व्यावृत्ति।–**

(i) औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–07, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया, या की गयी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था, ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

उद्देश्य एवं हेतु

विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों में अनुसंधान एवं समझौता संबंधी प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 लागू है। अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा समुचित कार्रवाई की जाती है एवं सरकार द्वारा श्रम संबंधी मामलों को अनुसंधान एवं समझौता हेतु कई स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है।

चूँकि वर्तमान में कोविड–19 वायरस महामारी के प्रकोप ने बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों एवं आर्थिक गतिविधियों की गति को कम किया है एवं औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है एवं राज्य में ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण श्रम अधिनियमों में संशोधन आवश्यक हो गया है। इसी क्रम में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के कतिपय प्रावधानों को संशोधन करने के साथ–साथ नए प्रावधान समाविष्ट करने की आवश्यकता महसूस की गई।

सम्प्रति औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत धारा–25ट में शब्द ''एक सौ'' को शब्द ''तीन सौ'' से प्रतिस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ–साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में धारा– 36 के पश्चात लोकहित में नये उद्योगों या उपक्रमों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने के उद्देश्य से धारा 36 (ग) को जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक के लागू हो जाने के पश्चात बंदी, छँटनी इत्यादि से संबंधित प्रावधान वैसे स्थापनाओं पर लागू होंगे, जहाँ 300 या 300 से अधिक कामगार कार्यरत हों। इसके साथ–साथ धारा 36(ग) के जुड़ जाने के पश्चात् राज्य सरकार को अधिनियम के प्रावधानों से किसी नये औद्योगिक स्थापना या उपक्रम को लोकहित में इसके स्थापना से एक हजार दिनों तक छूट देने से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त हो जायेगी। विधेयक के अंगीकृत हो जाने के बाद राज्य में उद्योगों में औद्योगिक शांति एवं औद्योगिक निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार होगा।

यहाँ इस विधेयक का उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभिष्ठ है।

(विजय कुमार सिन्हा)
भार–साधक सदस्य ।

भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना
दिनांक–03.08.2020

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 445-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in